



70



प्रारूप सी-2

(राजनीतिक दल के लिए वेबसाइट, समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन करने के लिए)

पार्टी द्वारा लंबित किए गए उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में घोषणा  
(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(1) (संविधान) संख्या 536/2011 (संविधान) में दिनांक 25 सितंबर, 2011 के संविधान के अनुसार प्रकाशन और उम्मीदवारों के नामों का प्रकाशन करने का अधिकार)

राज्य और राजनीतिक दल : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  
चुनाव का नाम : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023  
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम : मध्यप्रदेश विधानसभा

1	2	3	4	5	6	7	8
नहीं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	उम्मीदवार का नाम	(ए) लंबित अपराधी मामले		(बी) आपराधिक अपराधों के लिए राज्यों के मामलों के बारे में विवरण		
			का नाम अदालत, मामला संख्या और स्थिति की मामले	अधिकारियों की धाराएँ संबंधित और अपराध का संक्षिप्त विवरण	का नाम अदालत - खजूर क्रमानुसार	अपराध (अपराधों) का विवरण और दंड बोधा	अधिकतम राजा बोधा
1	त्यौंथर	रमाशंकर सिंह	ब्या दण्ड प्रथम क्षेत्री त्यौंथर प्र.सं. भारतीय 13/2014 विधायक	427, 294, 506(2), 353/149, 312/149, भारतीय दंड संहिता म प्र शासन का नाम जिल्हाद जे.स. विधायक है।	एन. नहीं होत	एन. नहीं होत	एन. नहीं होत


\*राज्यों की परिषद के चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

टिप्पणी :

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
2. समाचार पत्रों में मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
3. उपरोक्त जानकारी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
4. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे।
6. राजनीतिक दल संबंधित चुनाव के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रारूप सी 5 में आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : त्यौंथर-70  
 राज्य का नाम : मध्यप्रदेश  
 चुनाव का नाम : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023



Deponent

SWORN BEFORE ME  
 THE WITH MY NAME  
 26/10/23  
 IDENTIFIED BY ME  
 NAME: Gaurav Singh  
 ADDRESS: Rouse



26/10/23

परिशिष्ट 47  
प्रारूप सी-1 से सी-8 और सी  
प्रारूप C-1



(उम्मीदवार के लिए समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(माननीय राष्ट्रीय न्यायालय को दायरगी (सिविल) संख्या 536/2011 (सार्वजनिक) में दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के फैसले के अनुसार इंडियन एक्टिवेशन और अन्य कानून भारत संघ एवं अन्य)

उम्मीदवार का नाम और पता : रमाशंकर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राम लखन सिंह आयु 51 वर्ष,  
ग्राम पोस्ट-परसिया, खाना-जवा, तहसील-त्योथर, जिला-रीवा (म.प्र.)

राजनीतिक दल का नाम : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  
(निर्दलीय उम्मीदवारों को यहाँ "स्वतंत्र" लिखना चाहिए)

चुनाव का नाम : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : त्योथर-70

मैं रमाशंकर सिंह (उम्मीदवार का नाम), उपर्युक्त चुनाव के लिए एक उम्मीदवार, सार्वजनिक जानकारी के लिए मेरे आपराधिक इतिहास के बारे में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ:

(ए) लंबित आपराधिक मामले				
क्र.स. नहीं।	न्यायालय का नाम	केस संख्या और दिनांक	केस की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध का संक्षिप्त विवरण
1	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रवक्ता श्रेणी त्योथर	आरसीटी 13/2014 06.01.2014	विवाराधीन	427, 294, 506(2), 353/149, 332/149, भारतीय दंड संहिता म.प्र शासन कानून जिलेन्द्र वजीरह, अपराध साक्ष्य हेतु विचाराधीन है।
(बी) आपराधिक अपराधों के लिए सजा के मामलों के बारे में विवरण				
क्र.स. नहीं।	न्यायालय का नाम और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	पद(ओं) और दण्ड का विवरण यथा	अधिकतम सजा दी गई	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

\*सजा की परिषद के लिए चुनाव का विधायक द्वारा विधान परिषद के लिए चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

टिप्पणी :

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
2. समाचार पत्रों में मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
3. प्रत्येक मामले का विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए।
4. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. उम्मीदवार को आपराधिक मामलों से संबंधित घोषणा के प्रकाशन के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा, यह घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव व्यय के खाते के साथ प्रारूप सी-4 में मामलों के संबंध में। (ए) लोकराभा और विधानसभाओं के चुनावों के मामले में, इसे संबंधित जिला चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (बी) राज्यसभा और राज्य के चुनावों के मामले में

विधान परिषद, इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसे उम्मीदवारी कागज लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से समाचार पत्रों और टीवी में प्रकाशित किया जा सकता है और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक



Deponent

SWORN BEFORE ME  
THE WITNESSES  
NOTARY PUBLIC  
IDENTIFIED BY ME  
fawaz Singh  
leung